भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
08.02.2023 के
तारांकित प्रश्न सं. 87 का उत्तर

रेल पथों पर दुर्घटनाएं

*87. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से अब तक राज्य/जोन/वर्ष-वार रेल पथों पर मनुष्यों/हाथियों/जानवरों की हुई मृत्यु का ब्यौरा क्या है जिनकी सूचना दी गई;
(ख) क्या सरकार ने हाल के वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से असम में रेल पथ पर बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु का संज्ञान लिया है;
(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी आकस्मिक मौतों को रोकने के लिए कोई सामान्य परामर्श जारी किये गए हैं;
(घ) क्या इन परामर्शों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण किए गए हैं, यदि हां, तो इनका अनुपालन न किए जाने के लिए लगाए गए जुर्माने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या मनुष्यों और पशुओं की ऐसी मौतों को रोकने के लिए अंडरपास/रैंप ट्रैक डायवर्जन/गति सीमाओं को लागू किया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेल पथों पर दुर्घटनाओं के संबंध में दिनांक 08.02.2023 को लोक सभा में श्री प्रद्युत बोरदोलोई और श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 87 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): पिछले 8 वर्षों अर्थात 2014 से 2021 के दौरान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित, भारत में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्याओं (एडीएसआई) में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, रेलवे में रिपोर्ट की गई हताहतों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2022 और चालू वर्ष के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

पिछले 9 वर्षों अर्थात 2014 से 2022 के दौरान, रेल पटरियों पर हाथियों की मृत्यु का जोन-वार ब्यौरा परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

2014 से अब तक रेल पटरियों पर हुई जानवरों की मौतों की संख्या के संबंध में वांछित जानकारी अत्यधिक व्यापक है और इस प्रकार का डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (च): जी हां। 30 मार्च, 2010 को रेल मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हाथियों से संबंधित गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक सामान्य एडवायजरी जारी की गई थी। इस एडवायजरी में रेलवे और वन अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और गाड़ी दुर्घटनाओं में जानवरों की मौतों को कम करने के उपायों के बारे में बताया गया है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने गाड़ी की चपेट में आने से रेलपथ पर हाथियों सहित जानवरों की मौतों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिनमें हाथियों से जुड़ी गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सामान्य एडवायजरी (रेल मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी) में उल्लिखित निवारक उपाय शामिल हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. परिचालनिक उपाय:

(i) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 86 अदद हाथी गलियारों पर स्थायी गति प्रतिबंध लगाना।

(ii) हाथियों के आने-जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर लोको पायलटों को सावधानीपूर्वक गुजरने और हाथियों की आवाजाही के कारण रेलगाड़ी रोकने हेतु तैयार रहने के लिए चेतावनी आदेश जारी किए जाते हैं और इसके अलावा अस्थायी गति प्रतिबंध लगाए जाते

हैं जो संबंधित राज्यों के वन विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार समय-समय पर बदलते रहते हैं।

(iii) दीपोर बील लुप्तप्राय एशियाई हाथी की बड़ी आबादी वाले प्रमुख स्थानों में से एक है। दीपोर बील से गुजरने वाले अजरा-कामाख्या खंड में पर्याप्त स्थायी गति प्रतिबंध लगाए गए हैं।

2. इंजीनियरी उपाय:

(i) रेलवे क्षेत्र के भीतर सभी चिह्नित हाथी गलियारों में रेलपथ के किनारे पेड़-पौधों की सफाई करना।

(ii) लोको पायलटों को पूर्व-चेतावनी देने के लिए सभी चिह्नित हाथी गलियारों में संकेतक बोर्डों का प्रावधान करना।

(iii) रेलवे और पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, चार में से तीन चिह्नित कार्यों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था जिन्हें रेलवे द्वारा निक्षेप शर्तों पर निष्पादित किया जाना था। रेलवे द्वारा निष्पादित किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:

(क) मार्ग का निर्माण – चलसा और नागराकाटा स्टेशनों के बीच कि.मी. संख्या 66/2-3 (एलएच), 67/3-4 (एलएच), 67/8-9 (दोनों ओर), 68/0-1 (दोनों ओर) और 68/3-4 (दोनों ओर) पर 20 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया गया है।

(ख) रैम्पों का निर्माण - मदारीहाट और हासीमारा स्टेशनों के बीच कि.मी. संख्या 128/8-9 और 130/0-2 पर 20 मीटर चौड़े दो मिट्टी के रैंप और कि.मी. संख्या 129/8-9 पर एक अन्य रैंप का निर्माण किया गया है।

(ग) गर्डर पुल और बाड़ का निर्माण – कि.मी. संख्या 24/6-7 पर एक गर्डर पुल का निर्माण किया गया है और गुलमा और सिवोक स्टेशनों के बीच कि.मी. संख्या 25/9-26/0 और 26/2-3 पर रेल बाड़ लगाई गई है।

3. प्रौद्योगिकीय उपाय:

(i) चौकीदार वाले रेल फाटकों पर 75 अदद हनी बी साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, जो हाथियों को रेलपथ से दूर ले जाने के लिए एक रिपैलेंट के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) दुधनोई-कृष्णाई खंड में हाथी गलियारे में बिजली के तारों की बाड़ लगाने की व्यवस्था की गई है, मरियानी-नकचारी खंड में 250 मीटर तक रेलपथ के दोनों ओर 1.5 मीटर गहरी और 1 मीटर चौड़ी खाई बनाई गई है और गुलमा एवं सिवोक स्टेशनों के बीच रेल बाड़ लगाने का प्रावधान किया गया है।

(iii) अगस्त, 2022 में असम में लमडिंग मंडल के लमडिंग-हवाईपुर खंड (24 कि.मी.) में और दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार मंडल के चलसा-हासीमारा खंड (60 कि.मी.) में रेलपथ पर हाथियों के आने-जाने के बारे में पता लगाने के लिए अभिनव अतिक्रमण पहचान प्रणाली शुरू की गई है।

4. अन्य उपाय:

(i) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सभी लोको पायलटों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों और वन पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना।

(ii) यात्रियों और पैंट्री कार के कर्मचारियों को पोस्टरों, यात्री उद्घोषणा प्रणाली आदि के माध्यम से प्रेरित/काउंसल किया जाता है कि वे रेलपथ पर किसी भी बचे हुए भोजन आदि को पटरियों पर न फैंकें, जिनसे रेलपथ पर जंगली जानवर आकर्षित हो सकते हैं।

(iii) इसके अलावा, रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मृत्यु की रोकथाम के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है।

पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षणों के दौरान सामान्य सलाह की मदों के कार्यान्वयन की जांच की जाती है और कमी पाए जाने पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और, इस प्रकार, रेलों पर अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से करते हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने और इससे संबंधित मामलों में जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में सहयोग देता है। राज्य पुलिस

रेलों में अप्राकृतिक मौतों सहित अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मामले दर्ज करती हैं और उनकी जांच करती हैं तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

रेलपथ पर अप्रिय घटनाओं में मानव मृत्यु की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं:-

(i) रेलवे ने व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से प्रवेश करने सहित अप्रिय घटनाओं के कारणों को कम करने के लिए कारणों का अध्ययन करने और विशिष्ट उपायों का सुझाव देने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों में संरक्षा, सुरक्षा, सिगनल और इंजीनियरी विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए अंतर-विभागीय 'संयुक्त समिति' का गठन किया है। तदनुसार, हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अवसंरचना में सुधार लाने और सृजन करने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ii) रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से घोषणाएं की जाती हैं, जिसमें यात्रियों से उपरि पैदल पुल (एफओबी) का उपयोग करने और रेल पटरियों को पार न करने का आग्रह किया जाता है।

(iii) रेल पटरियों को पार करने, सवारीडिब्बों के पायदानों/छत पर यात्रा, चलती ट्रेनों में चढ़ने/उतरने आदि में हताहतों के बारे में यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

(iv) अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, पायदानों, सीढ़ियों, गाड़ियों की छत पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

(v) अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले संवेदनशील स्थानों पर रेल सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात किए जाते हैं।

(vi) अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले संवेदनशील चिह्नित किए गए स्थानों पर चारदीवारी/बाड़ लगाना।

(vii) यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशिष्ट स्थानों पर चेतावनी साइन बोर्ड लगाए जाते हैं।

(viii) रेल पटरियों सहित रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध है। पिछले वर्ष अर्थात 2022 के दौरान, कुल 124499 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए दोषी ठहराया गया था तथा माननीय न्यायालयों द्वारा इन व्यक्तियों से जुर्माने के

रूप में 3.92 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई थी।

*****

रेल पथों पर दुर्घटनाओं के संबंध में दिनांक 08.02.2023 को लोक सभा में श्री प्रद्युत बोरदोलोई श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 87 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-।

(क): 2014 से 2021 के दौरान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित, भारत में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्याओं (एडीएसआई) में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, रेलों में रिपोर्ट की गई हताहतों की राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2014 से 2021 के दौरान, दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्याओं (एडीएसआई) के आंकड़ों के अनुसार, रेलों में रिपोर्ट की गई हताहतों की संख्या							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
आंध्र प्रदेश	1469	1401	1396	1365	1532	1519	613	760
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0
असम	690	674	636	571	579	598	422	461
बिहार	1089	1907	1768	1763	1807	1864	972	1314
छत्तीसगढ़	664	531	507	422	428	467	331	412
गोवा	34	47	41	52	39	50	23	49
गुजरात	1191	1203	1126	1028	1022	1012	493	579
हरियाणा	1380	1287	1218	2087	2149	1362	560	948
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	53	61	49	67	63	45	9	22
झारखंड	409	238	479	431	456	488	288	388
कर्नाटक	25	897	0	6	0	15	0	0
केरल	413	332	384	479	431	412	201	295
मध्य प्रदेश	2020	2074	1783	1506	1548	1641	964	1275
महाराष्ट्र	5045	4719	4462	4017	3801	3916	1922	2535
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	1	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	11	9	14	9	9	8	3	9
ओडिशा	379	284	244	387	430	446	282	306
पंजाब	1023	917	853	811	872	831	333	577
राजस्थान	671	695	684	581	636	775	415	655
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1833	1734	1831	1963	2031	2086	902	1301
तेलंगाना	1073	1153	905	702	641	631	337	412
त्रिपुरा	0	0	14	33	23	32	25	40
उत्तर प्रदेश	4369	4812	4087	3553	3788	4376	2119	2919
उत्तराखंड	55	150	46	32	33	52	7	29
पश्चिम बंगाल	2814	2675	2651	2833	2852	2939	1515	2402
दिल्ली	867	900	922	795	880	807	417	550
पुडुचेरी	4	15	3	0	1	9	0	0

*****

रेल पथों पर दुर्घटनाओं के संबंध में दिनांक 08.02.2023 को लोक सभा में श्री प्रद्युत बोरदोलोई श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 87 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-।।

(क): पिछले 9 वर्षों अर्थात 2014 से 2022 के दौरान, रेल पटरियों पर हाथियों की मौतों का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
पूर्व तट	0	1	0	0	1	2	2	3	0
उत्तर	0	1	1	0	3	2	2	2	0
पूर्वोत्तर	0	0	0	2	2	0	0	2	1
पूर्वोत्तर सीमा	5	9	9	10	9	4	6	5	8
दक्षिण	0	0	4	0	1	2	3	4	2
दक्षिण पूर्व	0	0	5	1	7	0	3	2	3
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0	1	0	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	1	3	0	0	1	0

******